सुमन बनाम कृष्णलाल आदि   वादपत्र   प्र०सं० 149/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
25.04.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 को सुना गया। वकील वादीया ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि सांझा खाता की कृषि भूमि है। वादीया ने अपने कब्जा काश्त में आई भूमि की घोषणा करवाने एवं खाता विभाजन हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया है। दूसरी तरफ वकील प्रतिवादी सं. 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि से संबंधित अन्य वाद प्रकरण संख्या 76/2024 अनवान कृष्णलाल बनाम अमरसिंह आदि व प्रकरण संख्या 88/2024 अनवान अमरसिंह आदि बनाम कृष्णलाल आदि न्यायालय में जैरकार है। प्रकरण संख्या 76/2024 में वादीया सुमन हाजिर हो चुकी है। अब वादीया ने उक्त प्रकरणों के निस्तारण में देरी करने की नियत से नया वाद प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं है। इसलिये वादीया वादपत्र खारिज फरमाया जावें वकुलाए फरिकैन की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण संख्या 76/2024 अनवान कृष्णलाल बनाम अमरसिंह आदि व प्रकरण संख्या 88/2024 अनवान अमरसिंह आदि बनाम कृष्णलाल आदि का अवलोकन किया गया। जिनमें दिनांक 15.04.2024 को वादीया जरिये वकील श्री कृष्णकुमार उपस्थित आ चुकी है। जिनमें वादीया को अपना पक्ष/जबाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया जा रहा है। लेकिन वादीया ने अब नया वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः वादीया का वादपत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.05.09 14:46:45 IST
Reason: SelfAttested